रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
No. 336] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार और मंगोलिया सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए उहराव कर रखा है, अतः केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में यह निदेश करती है कि—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह हाजिर हो और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा उसे पेश करे, या

(घ) तलाशी वारंट,

केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि भारत में किसी न्यायालय द्वारा कि, यथास्थिति, उक्त समन या वारंट जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकार प्राप्त है, मंगोलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से उस न्यायालय, जज या मजिस्ट्रेट को दो प्रतियों में यह निदेश देते हुए जारी किया जाएगा कि वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन उससे निमित्त व्यक्ति पर करे।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट मंगोलिया के प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 478(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mongolia and, therefore, the

Central Government, in pursuance of clause (ii) the Sub-section (1) Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby directs that—

(a) a summons to an accused person, or

(b) a warrant for the arrest of an accused person, or

(c) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or

(d) a seareth—warrant,

may be issued by a Court in India in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate having authority, under the law in force in that country, through the Central Authority in Mongolia directing that Court, Judge or Magistrate to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in Mongolia.

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार ने मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है, अत: केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में मंगोलिया के ऐसे न्यायालय, जज या मजिस्ट्रेट को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो, आपराधिक मामलों के संबंध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह हाजिर हो और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा उसे पेश करे, जारी करने के लिए ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को समन जारी कर सकेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह से निदेश देती है कि ऐसी दशा में जहां मंगोलिया से प्राप्त समन या तलाशी वारंट की तामील हो चुकी है, वहां पेश किए गए दस्तावेजों और चीजें या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को मंगोलिया में केन्द्रीय प्राधिकरी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जाएंगी।

[फा. सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 479(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mongolia and, therefore, the Central Government, in pursuance of Sub-section (2) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby specifies competent Court, Judge or Magistrate in Mongolia having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, as the Court by which such summons or warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons or a search warrant received from Mongolia has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or search warrant through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in Mongolia.

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

DR. P. K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार ने मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है, अत: केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि भारत में के किसी न्यायालय का किसी व्यक्ति को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए मंगोलिया के किसी स्थान में निष्पादित किया जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को मंगोलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

प्ररूप

साक्षी को लाने के लिए वारंट

[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख देखिए]

प्रेषिती,

..... न्यायालय/न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट मंगोलिया (केन्द्रीय प्राधिकारी, मंगोलिया के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि..... (पता) के ..... (अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने..... (अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह संभावना प्रतीत होती है कि ..... (साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद से संबंधित साक्ष्य दे सकता है; और यह प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है।

और मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह तब तक हाजिर नहीं होगा या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजें पेश नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(i) (यहां उन दस्तावेजों या चीजों की सूची दें जो पेश की जानी है)

मुझे ..... को, यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और ऐसे व्यक्ति से उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेज या चीज जो उसके कब्जे में हैं, पेश करने की अपेक्षा भी करेंगे तथा उस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिए गए दस्तावेजों या चीजों सहित गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे।

तारीख ..... 2005 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा/न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 480(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mongolia and, therefore, the Central Government, in pursuance of Sub-section (1) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a warrant from a Court in India for arrest of a person to attend or produce a document or other thing, to be executed in any place in Mongolia shall be issued in the Form annexed hereto and that such warrant shall be sent in duplicate to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in Mongolia.

FORM

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

[*See* section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

To

The ..... Court/Jugde or Magistrate

in Mongolia.

(Through the Central Authority, Mongolia)

Whereas, complaint has been made before me that (name and description of the accused) or (address) has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the offence concisely), and it appears likely that (name and description of witness) can give evidence concerning the said complaint; and, whereas, it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction;

And, whereas, I have good and sufficient reason to believe that he/she will not attend or produce the following documents or other things unless compelled to do so :

(i) / (Here give the list of documents or things to be produced)

I, ..., have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or thing listed above, which may be in his/her possession and to forward the person in custody alongwith the documents or things to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this ..... day of .....2005.

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है अत: केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए मंगोलिया में किसी स्थान पर तामील या निष्पादित किए जाने वाले, यथास्थिति, के समन या वारंट, इससे उपाबद्ध, यथास्थिति, प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' में जारी किए जाएंगे और ऐसे समन या वारंट मंगोलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजे जाएंगे।

प्ररूप-क

(साक्षी को समन)

[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उप-धारा (2) देखिए]

प्रेषिती,

.....

.....

(केन्द्रीय प्राधिकारी, मंगोलिया के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि ..... (पता) के ..... (अभियुक्त का नाम) ने ..... (समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देंगे या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेंगे;

इसके द्वारा आपको सम्मन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय से संबंधित आप जो कुछ जानते हैं कि उसका साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न में हाजिर हों और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं, और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा

करेंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा।

तारीख ..... 2005 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा **न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर**

प्ररूप ख

(साक्षी को समन)

[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए]

प्रेषिती,

.....न्यायालय/न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट मंगोलिया (केन्द्रीय प्राधिकारी, मंगोलिया के माध्यम से)

मेरे समक्ष आवेदन किया गया है कि..... (पता) के ..... (अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने ..... (समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि ..... (साक्षी का नाम और वर्णन) अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगा और उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है और मेरे पास विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह उक्त मामले के अन्वेषण या जांच में जब तक हाजिर नहीं होगा तब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए;

मुझे ..... यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं, कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त ..... (व्यक्ति का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास अभिरक्षा में भेजेंगे।

तारीख ..... 2005 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा **न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर**

[फा. सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 481(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mangolia, and therefore, the Central Government, in pursuance of Sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a summons or warrant, as the case may be, for attendance of a person during the investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in Mongolia shall be issued in Form A or Form B annexed hereto, as the case may be, and such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in Mongolia.

FORM A

SUMMONS TO WITNESS

[*See* Sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

To

_____

_____

(Through the Central Authority in Mangolia)

Whereas, an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the .....day of.....next at.....AM/PM to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Dated, this.....day of .....2005.

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

FORM B

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

[*See* Sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

To

The Court/Judge/Magistrate in Mongolia.

(Through the Central Authority in Mangolia)

Whereas, an application has been made before me that.....(name and description of the accused).....of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of.....(state the offence concisely with time and place) and it appears to me that.....(name and description of witness) is likely to give to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution; and whereas, the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction; and whereas, I have good and sufficient reason to believe that he/she will not attend the investigation or inquiry of the said case unless compelled to do so;

I,....., have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you wil be pleased to cause the said.....(name of person) to be arrested and to forward him/her in custody to the undersigned, through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of .....2005.

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है अत: केन्द्रीय सरकार, जिसने मंगोलिया सरकार से भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में निवास करने वाले साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखा है, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में निदेश देती है कि (क) मंगोलिया में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन इससे उपाबद्ध प्ररूप में भारत के न्यायालयों द्वारा उक्रेन के किसी सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे मंगोलिया में प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा, और (ख) ऐसा कमीशन मंगोलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

प्ररूप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 (3) देखिए]

न्यायालय.....

प्रेषिती

.....

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से)

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या.....बनाम.....न्यायालय.....में..... का साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है, मैं..... आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त हाजिरी की सहायता के लिए उक्त साक्षी को समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष काउन्सेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और (यथास्थिति) उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुन:परीक्षा कर सकेगा;

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लिखवाएं और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिह्नित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा (यदि कोई हो) और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया

तारीख.....2005

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा.सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 482(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for taking the evidence of witnesses residing in Monogolia in relation to criminal matters in Courts in India, and therefore, the Central Government in pursuance of Sub-section (3) of Section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) hereby directs that (a) Commission for examination of witnesses in Mongolia shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any competent Criminal Court of the Mongolia having authority under the law in force in Mongolia; and (b) such Commission shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in Mongolia.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[*See* Section 285(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

IN THE COURT OF———————

_____

To

_____

(Through the Ministry of Home Affairs,
Government of India,
New Delhi.)

Whereas, it appears to me that the evidence of .....is necessary for the ends of justice in case No. .....in the Court of.....and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, ..., have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal (if any) and by your signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of .....2005.

Seal of the Court

Signature of the
Judge/Magistrate

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार ने मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है अत: केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में मंगोलिया के ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों, या मजिस्ट्रेटों को जिन्हें मंगोलिया में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा।

[फा.सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 483(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mongolia, and therefore, the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in Mongolia having authroity, under the law in force in Mongolia as the Courts by whom Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार ने मंगोलिया सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में मंगोलिया में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखा है अत: केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि मंगोलिया के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7क के उपबंध बिना किसी शर्त, अपवाद या अर्हता के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा.सं. 2/2/2004-न्यायिक एकक]

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 484(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Mongolia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Mongolia, and therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to Mongolia with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2/2/2004-Judl. Cell]

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.